तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहलकार की तारीख
08/5/24	पंचायतीय भूमि बतौर मालकी दफा 4 बतौर मालकी को अपीलार्थियों की तामील पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक तामील की रसीदें पेश नहीं की। अतः अपील अधिनियम अंतर्गत धारा 242 राजस्व अपील कार्यवाही अधिनियम अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पंचायती केसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	